निदेशालय
महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर

विद्याधर नगर सेक्टर–4 / 1 / 10–11

फोन :– 0141–2614424, फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल : store.hgcd.rj@nic.in

Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांक : गृरमु / भण्डार / एस–1(1–3)2023–24 / 2742 दिनांक 3/12/24

ई–बोली आमंत्रण सूचना

गृह रक्षा विभाग को राशि रूपये 696.00 लाख के विभिन्न प्रकार के आईटम प्रदाय (सप्लाई) करने हेतु ई–बोली (e-Bid) आमन्त्रित की जाती है। बोली दस्तावेजों को दिनांक 05.12.2024 को प्रातः 12.00 बजे से वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकेगा तथा बोली दिनांक 26.12.2024 को दोपहर 1.00 बजे तक निर्धारित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में उक्त वेबसाईट पर अपलोड कर प्रस्तुत की जा सकती हैं।

ऑनलाईन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि, बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क एक ही चालान से ऑन–लाईन ई–ग्रास (e-GRAS) सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना है।

बोली प्रतिभूति राशि, बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क के उक्त चालान की प्रति एवं सैम्पल दिनांक 26.12.2024 को 3.00 पी.एम. तक भौतिक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। ई–बोली की तकनीकी बिड (Technical Bid) दिनांक 26.12.2024 को 4.00 पी.एम. पर खोली जावेगी ।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्ते एवं तत्सम्बन्धी अन्य विवरण को वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल (http://www.sppp.rajasthan.gov.in) अथवा विभागीय वेबसाइट http://www.home.rajasthan. gov.in/homeguard पर देखा जा सकता है।

NIB Code – HGR2425A0003

UBN No. – HGR2425GLOB00007, HGR2425GSOB00008, HGR2425GSOB00009, HGR2425GLOB00010, HGR2425GLOB00011, HGR2425GLOB00012, HGR2425GLOB00013, HGR2425GLOB00004, HGR2425GLOB00003, HGR2425GLOB00004, HGR2425GSOB00006 HGR2425GSOB00005, HGR2425GSOB00006

(पी. रामजी)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

निदेशालय
महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर

विद्याधर नगर सेक्टर–4/1/10–11
फोन :– 0141–2614424, फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल : store.hgcd.rj@nic.in
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांक : गृरमु/भण्डार/एस–1(1–3)2023–24/ 2743 दिनांक 3/12/24

विस्तृत ई–बोली आमंत्रण सूचना

गृह रक्षा विभाग को राशि रूपये 696.00 लाख के विभिन्न प्रकार के आईटम प्रदाय (सप्लाई) करने हेतु ई–बोली (e-Bid) आमन्त्रित की जाती है। बोली दस्तावेजों को दिनांक 05.12.2024 को प्रातः 12.00 बजे से वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकेगा तथा बोली दिनांक 26.12.2024 को दोपहर 1.00 बजे तक निर्धारित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में उक्त वेबसाईट पर अपलोड कर प्रस्तुत की जा सकती हैं।

ऑनलाईन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि, बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क एक ही चालान से ऑन–लाईन ई–ग्रास (e-GRAS) सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना है।

बोली प्रतिभूति राशि, बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क के उक्त चालान की प्रति एवं सैम्पल दिनांक 26.12.2024 को 3.00 पी.एम. तक भौतिक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। ई–बोली की तकनीकी बिड (Technical Bid) दिनांक 26.12.2024 को 4.00 पी.एम. पर खोली जावेगी ।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तें एवं तत्सम्बन्धी अन्य विवरण को वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल (http://www.sppp.rajasthan.gov.in) अथवा विभागीय वेबसाइट http://www.home.rajasthan.gov.in/homeguards पर देखा जा सकता है।

क्र. सं.	नाम वस्तु	अनुमानित मात्रा	अनुमानित लागत (लाखों में)	बोली प्रपत्र शुल्क (रू.)	प्रोसेसिंग फीस	बोली प्रतिभूति राशि
1.	वर्दी सैट (कमीज पेन्ट) टेरिकोट खाकी	20000 वर्दी सैट	248.98	1000/–	2000/–	4,97,960
2.	बैरट कैप	20000 नग	21.19	500/–	500/–	42,380
3.	कैप बेज	13000 नग	6.13	500/–	500/–	12,260
4.	लेनयार्ड मय विशिल	10000 नग	7.86	500/–	500/–	15,720
5.	जुर्राब	30000 जोडे	20.47	500/–	500/–	40,940
6	शोल्डर टाईटल	10000 नग	4.90	500/–	500/–	9,800
7	फोरमेशन चिन्ह	10000 नग	4.70	500/–	500/–	9,400
8	बैल्ट	15000 नग	66.20	1000/–	1500/–	1,32,400
9	जूते काले डीएमएस	17500 जोडे	216.57	1000/–	2000/–	4,33,140
10	जर्सी खाकी	7100 नग	51.16	1000/–	1500/–	1,02,320
11	कोट पारका	2300 नग	47.84	500/–	500/–	95,680
		कुल योग :–	**696.00**			

नोट :–

1. क्र.सं. 2, 3, 4, 6, 7 एवं 8 को छोडकर शेष आईटम राजस्थान में स्थित तथा उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से क्रय किये जाने के लिए आरक्षित है।
2. बजट की उपलब्धता के अनुरूप उपरोक्त आइटमों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

(पी. रामजी)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

बोली (Bid) की मुख्य शर्ते :-

1. (अ) निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस (Bid Document Fees & Bid Processing Fees) एक ही चालान (Single Challan) से ऑन–लाईन ई–ग्रास (e-GRAS) सिस्टम के माध्यम से (परिशिष्ट "र" के अनुसार) जमा कराया जाना है। :-

शुल्क का विवरण	**शुल्क की राशि**
प्रोसेसिंग फीस (यदि बोली लागत 50 लाख से कम है)	**रू. 500**
प्रोसेसिंग फीस (यदि बोली लागत 50 लाख से 1 करोड तक)	**रू. 1500**
प्रोसेसिंग फीस (यदि बोली लागत 1 करोड से 5 करोड तक)	**रू. 2000**
प्रोसेसिंग फीस (यदि बोली लागत 5 करोड से अधिक है)	**रू. 2500**

2. **बोली प्रतिभूति** (Bid Security):– बोली प्रतिभूति बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषयवस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी तथा एसएसआई इकाई से बोली प्रतिभूति 0.5 प्रतिशत होगी।
3. **शुल्क जमा कराने की तिथि:–** निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि, बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क एक ही चालान से ऑन–लाईन ई–ग्रास सिस्टम के माध्यम से (परिशिष्ट "र") के अनुसार जमा कराया जाना है। तथा चालान की प्रति बोली आमंत्रण सूचना में अंकितानुसार दिनांक 26.12.2024 को समय दोपहर 3.00 पी.एम. तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग शुल्क के अभाव में बोली में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जायेगा।
4. बोली की क्वालीफाइंग बिड दिनांक 26.12.2024 को सायं 4.00 बजे खोली जायेगी। तकनीकी बिड में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की प्राईस बिड खोलने की तिथि व समय की सूचना पृथक से http://www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल (http://www.sppp.rajasthan.gov.inढ्ढ अथवा विभागीय वेबसाइट http://www.home.rajasthan.gov.in/homeguards पर दी जाएगी।
5. जो बोलीदाता ई–बोली (e-Bid) में भाग लेना चाहते हैं, सर्वप्रथम उन्हें वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। उसके पश्चात् जो बोलीदाता ऑन–लाईन बिड में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (I.T. Act 2000) के तहत डिजीटल सर्टिफिकेट (Type II or Type III) लेना होगा। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए. (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजीटल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजीटल सर्टिफिकेट उपलब्ध हैं, उन्हें पुनः डिजीटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
6. जो बोलीदाता ई–बोली में भाग लेना चाहते हैं, वे वांछित दस्तावेजों के साथ वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर ऑन–लाईन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में निर्धारित दिनांक एवं समय तक बोली प्रस्तुत कर सकते हैं। **बोलीदाताओं को यह सलाह दी जाती है कि इण्टरनेट जाम की स्थिति से बचने के लिए वे निर्धारित दिनांक एवं समय की प्रतीक्षा नहीं करें। यथासम्भव निर्धारित दिनांक एवं समय से पूर्व ही अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर देवें।**

7. **राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई हेतु** :–

(i) विस्तृत ई–बोली आमंत्रण सूचना में क्र.सं. 2, 3, 4, 6, 7 एवं 8 को छोडकर शेष सभी आईटम वित्त विभाग राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दू संख्या 3 के अनुसार "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" के अधीन वर्गीकृत और राजस्थान में स्थित तथा उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त "सूक्ष्म" एवं "लघु" उद्यम से उपापन किये जाने के लिए आरक्षित हैं।

(ii) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्में पात्र मानी जावेंगी जिन्हे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में बोली जमा कराने की अन्तिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन–II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त कर लिया हो।

(iii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दू संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन–II/उद्योग आधार मेमोरेण्डम की अभिस्वीकृति रखने वाले तथा इसकी स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बोली दस्तावेज प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत पर, बोली प्रतिभूति राशि उनके द्वारा प्रदाय की जाने वाली प्रस्तावित परिमाण के मूल्य की 0.50 प्रतिशत तथा निष्पादन प्रतिभूति राशि माल के विहित लागत प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम का 0.5 प्रतिशत देय होगी।

(iv) वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियत्रंण के उपाय स्थापित है, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(v) वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेज के साथ प्रारूप "ख" में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vi) उपरोक्त बोली आईटमों में किन्हीं आईटमों की सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाईयों से कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(vii) बोलीदाता लघु उद्योग इकाई को प्लान्ट एवं मशीनरी सूची तथा निर्माण स्थल का क्षेत्रफल अंकित करते हुए 100 रू. के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसका विभाग द्वारा कभी भी कार्यस्थल पर जाकर निरीक्षण किया जा सकता है।

8. बोली के साथ बोलीदाता वैध जी.एस.टी. प्रमाण–पत्र (इस सम्बन्ध में बोली परिशिष्ट–स की शर्त संख्या 4(ii)देखें) की प्रमाणित प्रति स्केन कर प्रस्तुत करेंगे।

9. जी.एस.टी. प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10. **सैम्पल** :–

(i) बोलीदाता द्वारा बोली के साथ चाहे अनुसार आईटमों में प्रत्येक आईटम के एक–एक जोडे/मीटर/नग/सेट के शील्ड नमूने बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित कपड़े में सील कर प्रस्तुत किये जावेंगे एवं बोलीदाता किसी भी कार्यदिवस को महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर विभागीय सैम्पल देख सकते हैं।

(ii) विभागीय उपापन समिति चाहेगी तो बोली सूचना में अंकित वस्तुओं के सैम्पल की जांच किसी भी राज्य/केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रयोगशाला में करा सकती हैं। यदि सैम्पल की जाँच कराई जाती है तो जाँच शुल्क बोलीदाता द्वारा राजकोष में जमा कराया जाएगा। यदि बोलीदाता जाँच शुल्क जमा नहीं कराता है तो बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई बोली प्रतिभूति राशि में से जाँच शुल्क की राशि काट ली जायेगी। इस संबंध में विभागीय उपापन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

11. समस्त प्रमाण–पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण–पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित हो तथा सत्यापित किया हुआ हो।

12. **दरों की वैधता** – दरों की वैधता बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से 90 दिन की अवधि तक के लिए विधिमान्य होगी।

13. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहा/रहता है तो **वह उस वित्तीय वर्ष से आगामी तीन वित्तीय वर्षो तक**

विभागीय बोलियों में भाग लेने के लिए योग्य नहीं होगा। यदि किसी बोलीदाता ने फिर भी ई–बोली में भाग लिया है तो वह प्रथम दृष्टया निरस्त कर दी जावेगी।

14. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अन्तिम तिथि को वैध होने चाहिए।

15. विस्तृत शर्तों के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट–अ, परिशिष्ट–ब, परिशिष्ट–स, परिशिष्ट–द एवं परिशिष्ट–ई तथा अनुलग्नक–I, अनुलग्नक–II, अनुलग्नक–III एवं अनुलग्नक–IV का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके बोली में भाग ले सकते हैं। उक्त मुख्य शर्तों एवं विभागीय बोली परिशिष्ट–अ, परिशिष्ट–ब, परिशिष्ट–स, परिशिष्ट–द, परिशिष्ट "र" एवं परिशिष्ट–ई तथा अनुलग्नक–I, अनुलग्नक–II, अनुलग्नक–III एवं अनुलग्नक–IV में उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। सभी विभागीय बोली शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट 'द' एवं अनुग्लनक 'II' एवं विभाग द्वारा जारी चैक लिस्ट डाउन लोड करने के बाद हस्ताक्षर उपरान्त स्वयं द्वारा प्रमाणित कराकर ई–बोली के साथ स्केन करना होगा। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तों के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और ई–बोली में उसके आगे के चरण (Stages) को नहीं खोला जावेगा।

16. बोली में भाग लेनी वाली बोलीदाता फर्म को बोलीदत्त आईटम/समान वर्दी आईटम का किसी सरकारी विभाग/उपक्रम में विगत 5 वर्षों में बोली मूल्य का 25 प्रतिशत आपूर्ती का अनुभव होना आवश्यक है। इसके प्रमाण स्वरूप सम्बन्धित विभाग से जारी सन्तोषजनक कार्य सम्पादित करने का अनुभव प्रमाण पत्र एवं आपूर्ति आदेश/भुगतान की प्रति ऑन–लाईन प्रस्तुत करनी होगी।

तथा

बोलीदाता फर्म (Bidder) का विगत 3 वर्षों में किसी एक वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर बोलीदत्त आईटम के बोली मूल्य (Bid value)के बराबर होना आवश्यक है।

17. बोलीदाता को अपनी विगत 3 वर्षों की बैलेंस शीट (Balance Sheet) व लाभ–हानि खाता (Profit & Loss Account) चार्टड एकाउन्टेन्ट (CA) से प्रमाणित कराकर आवश्यक रूप से ऑन–लाईन प्रस्तुत करना होगा। टर्न ऑवर सर्टिफिकेट भी चार्टड एकाउन्टेन्ट (CA) द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है जिस पर चार्टड एकाउन्टेन्ट (CA) का रजिस्ट्रेशन नम्बर, सील (seal)व UDIN नम्बर अंकित होने चाहिए। किसी वस्तु के व्यवसाय मे नये प्रविष्ट होने वाले निर्माता/डीलर को अपने बैंकर द्वारा फर्म का बैंकिग व्यवहार व खाते में सन्तोषजनक लेन–देन होने की पुष्टि का प्रमाण–पत्र ऑन–लाईन प्रस्तुत करना होगा।

18. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय उपापन समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।

19. विभागीय उपापन समिति के निर्णयानुसार महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकेंगे।

20. **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 46 के तहत राज्य सरकार द्वारा Debar किये गये बोलीदाता उक्त बोली प्रस्तुत करने हेतु पात्र नही होंगे।**

21. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग शासन सचिवालय जयपुर होंगे।

22. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या हो तो निम्न अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है :–

(1) उप महासमादेष्टा, प्रथम, गृह रक्षा, मुख्यालय, जयपुर।
दूरभाष नं. 0141–2614424 ई–मेल store.hgcd.rj.@nic.in

(पी. रामजी)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

कार्यालय का नाम	**निदेशालय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर**
अनुमानित मात्रा / संख्या	संलग्न बोली आमंत्रण सूचना अनुसार
कुल अनुमानित कीमत	696.00 लाख
बोली प्रतिभूति राशि	संलग्न बोली आमंत्रण सूचना अनुसार
सप्लाई अवधि	अनुबंध पत्र में अंकित अनुसार
बोली जमा कराने की अंतिम तिथि	संलग्न बोली आमंत्रण सूचना अनुसार
बोली खुलने की तिथि	दिनांक 26.12.2024 को सायं 4.00 बजे

संलग्नः— बोली आमंत्रण सूचना संख्या 01 / 2024—25

दिनांकः— 3/12/24

(पी. रामजी)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

परिशिष्ट ''अ''

गृह रक्षा, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
(बोली प्रपत्र–क्वालीफाईंग बिड)

घोषणा

ई–बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक : दिनांक :

(I)	.... के लिए बोली (खाली स्थान में उस आईटम का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई है)	
(II)	बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम	:–..
	डाक का पूर्ण पता	:–..
	दूरभाष एवं फैक्स नम्बर एवं ई–मेल	:–..
(III)	बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी है :–	महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
(IV)	सन्दर्भ :–	ई–बोली आमंत्रण सूचना संख्याः–...........................दिनांक .... जो ....(समाचार पत्र का नाम) दिनांक .... में प्रकाशित हुई है ।
(V)	बोली प्रपत्र शुल्क :–	राशि रूपये .... का e-GRAS चालान संख्या...............दिनांक . ... द्वारा जमा करा दी गई है।
(VI)	प्रोसेसिंग फीस :– राशि रूपये............................ का e-GRAS चालान...दिनांक................................ जमा करा दी गई है।	
(VII)	हम ई–बोली आमंत्रण सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तों से तथा विभागीय शर्तो से संबंधित परिशिष्ट ''स'' तथा परिशिष्ट ''ई'' में वर्णित शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। परिशिष्ट ''स'' तथा परिशिष्ट ''ई'' के समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तो को स्वीकार किये जाने के प्रमाण–स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा दोनों परिशिष्ट हस्ताक्षर शुदा संलग्न हैं।	
(VIII)	हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा ई–बोली आमंत्रण सूचना में अंकित सप्लाई अवधि में समस्त माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी।	
(IX)	हम सम्पुष्टि (Confirm) करते है कि ''प्राईस बिड'' में अंकित की गई दरें बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से 90 दिवस तक विधिमान्य हैं ।	
(X)	हम सम्पुष्टि करते हैं कि ''प्राईस बिड'' में अंकित दरें विभागीय परिशिष्ट ''ई'' में अंकित स्पेसिफिकेशन के लिये हैं।	
(XI)	हमारा जी.एस.टी. पंजियन संख्या .... है।	
(गII)	हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेंगे, जिसके अभाव में बोली निरस्त योग्य है।	
(XIII)	हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये है जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–	

हस्ताक्षर बोलीदाता

क्र. सं.	वांछित दस्तावेज का विवरण	हॉ या नही	जारी होने की तिथि / वैधता अवधि
1.	बोली प्रतिभूति राशि का ई–ग्रास (eGRAS) चालान नं................... दिनांक...............राशि............................		
2.	बोली प्रपत्र शुल्क ई–ग्रास (eGRAS) चालान नं.................. दिनांक...............राशि............................		
3.	प्रोसेसिंग फीस ई–ग्रास (eGRAS) चालान नं...................... दिनांक...............राशि............................		
4.	जी.एस.टी. प्रमाण–पत्र की नवीनतम प्रमाणित स्केन प्रति सलंग्न है या नहीं ?		
5.	बोली के परिशिष्ट ''ई'' में अंकित वस्तु का एक सील्ड सैम्पल प्रस्तुत किया है या नहीं।		
6.	परिशिष्ट 'द' घोषणा पत्र स्वयं से प्रमाणित संलग्न है या नहीं।		
7.	संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के संबंध में उद्योग विभाग / सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न है या नही।		
8.	बोलीदाता द्वारा जिस आईटम / कार्य की बोली प्रस्तुत की गयी है, उक्त बोलीदत्त आईटम / कार्य का किसी भी राजकीय विभाग में आपूर्ति / कार्य पूर्ण किये जाने के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है या नहीं।		
9.	जीएसटी रिटर्न एवं जीएसटी चालान की स्कैन प्रति		
10.	उधमिताज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) उद्योग आधार की स्कैनप्रति		
11.	अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की बिन्दु संख्या 10 के तहत प्रपत्र 'अ'		
12.	अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की बिन्दु संख्या 11 के तहत प्रपत्र 'ब' में शपथ पत्र		
13.	चाहे जाने पर ISO प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति		
14.	बोलीदाता का प्राधिकृत प्रतिनिधि संबंधी प्रमाण पत्र		
15.	प्राधिकृत डीलर व एजेन्ट द्वारा बोली प्रस्तुत करने की स्थिति में (i) निर्माता द्वारा जारी प्राधिकृत डीलर का प्रमाण पत्र (ii) निर्माता का जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र (iii) निर्माता का आईटम निर्माण संबंधी पंजीयन प्रमाण पत्र		
16.	बोलीदाता फर्म नवीन होने पर बैंकर का परिचय पत्र बोली में अंकितानुसार		
17.	अनुभव प्रमाण पत्र बोली आमंत्रण सूचना में अंकितानुसार		
18.	वार्षिक टर्नओवर के संबंध में वांछित दस्तावेज		

(XIV) हमारे द्वारा संलग्न उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रमाणित रूपान्तरण भी संलग्न किया गया है।

(XV) हमारे द्वारा निम्न दस्तावेज भी संलग्न किये गये हैं :–

1...

2...

3...

(XVI) हमारे द्वारा आईटम संख्या .... का (संबन्धित आईटम के परिशिष्ट 'ई' में अंकितानुसार) के एक सील्ड सैम्पल कपड़े में सील किये हुये तकनीकी बिड के साथ प्रेषित किया गया है।

<u>हस्ताक्षर बोलीदाता</u>

<u>नोट :–</u>

1. क्रम संख्या (XIII) में अंकित संलग्न को में दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा नहीं, उसके <u>सम्मुख 'हाँ' या 'नही' दस्तावेज जारी होने की तिथि/वैधता अवधि अंकित करना आवश्यक है,</u> इसका उत्तरदायित्व बोलीदाता का है इसके अभाव में बोली अमान्य कर दी जावेगी ।

2. **बोली भरने की प्रकिया :–**

   (I)परिशिष्ट "अ" क्वालीफाईंग बिड है, क्वालीफाईंग बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट "अ" "स" "द" ''र'' एवं "ई" तथा अनुलग्नक I, II, III एवं IV में अंकित शर्तों की स्वीकार्यता की सहमति के लिए परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'II', हस्ताक्षर उपरान्त ई–बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे तथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर संबंधित आईटम के परिशिष्ट "ई" में अंकितानुसार स्पैसिफिकेशन के अनुसार सैम्पल कपड़े में सील करके हस्ताक्षर शुदा निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रस्तुत किए जावेंगे।

   (II)परिशिष्ट "ब" प्राईस बिड है उसे ई–बोली में निर्धारित प्रारूप में भराजावे। योग्य बोलीदाताओं की ही प्राईस बिड खोली जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

परिशिष्ट ''ब''

गृह रक्षा, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

(बोली प्रपत्र–प्राईस बिड)

ई–बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक : दिनांक :

1. .... के लिए बोली
(खाली स्थान में उस आईटम का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई है)

2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म :–...
का नाम व डाक का पूर्ण पता :–...
दूरभाष एवं फैक्स नम्बर मय ई–मेल सहित :–...

3. बोली जिन्हे प्रस्तुत करनी है :– महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

4. सन्दर्भ :– ई–बोली आमंत्रण सूचना संख्या:–...
दिनांक .... जो...
(समाचार पत्र का नाम) दिनांक .... में प्रकाशित हुई है ।

5. निम्नलिखित आईटम के लिए दरें एवं मात्रा निम्न प्रकार होगी :–
(क) परिशिष्ट ''ई'' में अंकित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप आईटम का नाम :–
(ख) मात्रा :–
(ग) दरें :– एफ.ओ.आर. :– केन्द्रीय भण्डार, गृह रक्षा, आलू फैक्ट्री, जी.पी.ओ. के पास, एम.आई. रोड़, जयपुर पर दी जावें ।

(प) दरें – (प्रति जोडा/प्रति नग/प्रति मीटर/प्रति सैट) :–
अंकों में ई–टेण्डरिंग के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दी जावे।
शब्दों में ई–टेण्डरिंग के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दी जावे।

() परिवहन एवं पैकिंग चार्ज दरों में शामिल किया जावे।

(इ) जी.एस.टी. उक्त दरों में शामिल नहीं करें :–

(ब) उक्त करों में किसी प्रकार की आंशिक अथवा पूर्ण छूट प्राप्त होने पर प्रमाण पत्र संलग्न करें।

नोटः–

(i) दरें शब्दों एवं अंकों में दोनों रूप में लिखी जावे। दरों में कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होवे।

(ii) यदि 'डी' फार्म/डिक्लेयरेशन फार्म चाहा है तो जी.एस.टी. की दरों के आगे स्पष्ट रूप से अंकित करें तथा जिस आईटम पर डी फार्म/डिक्लेयरेशन फार्म लागू है तो सम्बन्धित विभाग के आदेश की प्रति संलग्न करें।

(iii) <u>अस्पष्ट वाक्य</u> :– टैक्स पेड, कर सहित, एज एप्लीकेबल का प्रयोग नहीं किया जावे।

(iv) <u>आईटमों की दरों हेतु:–</u>

(अ) यदि किसी आईटम की विभिन्न साईज है तो विभाग द्वारा मांग की गई साईज की दर ही अंकित की जावे। यदि विभिन्न साईज की अलग–अलग दरें अंकित की जावेंगी तो बोली अमान्य कर दी जावेगी।

(ब) यदि एक ही प्रकार की गुणवत्ता के कपड़ों का रंग अलग–अलग हो तो एक ही दर अंकित की जावे। यदि रंग के आधार पर दरें अलग–अलग दी जाती है तो बोली अमान्य कर दी जावेगी।

6. जी.एस.टी. में यदि कोई रियायत उपलब्ध है अथवा चाही गई हो तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इससे सम्बन्धित सक्षम अधिकारी के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति प्राईस बिड के साथ संलग्न करें ।

7. **<u>बोली भरने की प्रक्रिया</u>** :– ई–बोली प्रस्तुत करने की विस्तृत प्रक्रिया बोली आमंत्रण सूचना एवं परिशिष्ट 'अ' में उल्लेखित कर दी गई है। तद्नुरूप ही बोली प्रस्तुत की जावे। अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

परिशिष्ट ''स''

गृह रक्षा, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

ई–बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक : दिनांक :

ई–बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्तें :–

नोटः–बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढना चाहिये तथा ऑन–लाईन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वेबसाईट पर प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये ।

1. **बोली प्रपत्र भरने की प्रकियाः**– परिशिष्ट ''अ'' एवं परिशिष्ट ''ब'' तथा बोली प्रपत्र की मुख्य शर्तों में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है ।
2. विभिन्न श्रेणी के बोलीदाताओं हेतु विशेष शर्तें :–

(अ)बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता/अधिकृत डीलर होने के संबंध में उद्योग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

(ब)राजस्थान में स्थापित लघु उद्योग ईकाई द्वारा बोली :–

(i) विस्तृत ई–बोली आमंत्रण सूचना में क्र.सं. 2, 3, 4, 6, 7 एवं 8 को छोडकर शेष सभी आईटम वित्त विभाग राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दू संख्या 3 के अनुसार ''**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006'' के अधीन वर्गीकृत और राजस्थान में स्थित तथा उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त ''सूक्ष्म'' एवं ''लघु'' उद्यम से उपापन किये जाने के लिए आरक्षित हैं।**

(ii) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्में पात्र मानी जावेंगी जिन्हे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में बोली जमा कराने की अन्तिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन–II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम, उद्यम पंजियण प्राप्त कर लिया हो।

(iii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दू संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन–II/उद्योग आधार मेमोरेण्डम की अभिस्वीकृति रखने वाले तथा इसकी स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बोली दस्तावेज प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत पर, बोली प्रतिभूति राशि उनके द्वारा प्रदाय की जाने वाली प्रस्तावित परिमाण के मूल्य की 0.25 प्रतिशत तथा निष्पादन प्रतिभूति राशि माल के विहित लागत प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम का 0.5 प्रतिशत देय होगी।

(iv) वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियत्रंण के उपाय स्थापित है, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(v) वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेज के साथ प्रारूप ''ख'' में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vi) उपरोक्त बोली आईटमों में किन्हीं आईटमों की सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाईयों से कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(vii) बोलीदाता लघु उद्योग इकाई को प्लान्ट एवं मशीनरी सूची तथा निर्माण स्थल का क्षेत्रफल अंकित करते हुए 100 रू. के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसका विभाग द्वारा कभी भी कार्यस्थल पर जाकर निरीक्षण किया जा सकता है।

(viii) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम द्वारा क्रय अधिमानता चाहने पर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप 'क' में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नही किया जाएगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नही हो जाते एवं महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए बोलीदाता की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. <u>जी.एस.टी. प्रमाण–पत्र/शोधन प्रमाण–पत्र (**Clearance Certificate**)</u> :–

(i) कोई भी बोलीदाता जो अपने व्यवसाय स्थल के जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नही है, वह बोली नही दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाऐगा। प्रमाण–पत्र की प्रति स्केन कर प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) यदि किसी वस्तु पर C.G.S.T. लगता है तो उसकी दर फर्म द्वारा आवश्यक रूप से अलग से प्रस्तुत की जावेगी। यदि किसी फर्म ने कर सहित दरें प्रस्तुत की है तो उसमें C.G.S.T. की दर अलग से दर्शानी/बतानी होगी।

5. बोलीदाता बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट–'द' एवं अनुलग्नक –'ब' डाउन लोड करने के बाद अपने हस्ताक्षर उपरान्त ई–बोली के साथ प्रस्तुत करें। यदि बोलीदाता द्वारा उक्तानुसार परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब' स्कैन करके प्रस्तुत नहीं किया गया है तो बोली निरस्त कर दी जावेगी।

6. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है तो वह उस वित्तीय वर्ष से आगामी तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोली में भाग लेने से विवर्जित (Debar) किया जा सकता है।

7 <u>दरें :–</u>

(i) बोली दरें ऑन लाईन (BOQ) माध्यम से भरी जायेंगी।

(ii) बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :–

(क) ईकाई मूल्य (Unit Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो ईकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा। अर्थात् ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा

और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है, ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से सम्बन्धित न हो। ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन न रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।

(iii) बोली में दर अंकित करते समय G.S.T. अलग से अंकित की जावे व G.S.T. की कुल राशि या प्रतिशत अवश्य अंकित की जावे। अस्पष्ट वाक्य, जैसे ''टैक्स पैड'' ''कर सहित'' ''एज एप्लीकेबल'' का प्रयोग नहीं किया जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करे। G.S.T. में कालान्तर में बढोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

(iv) बोली में दरें परिशिष्ट ''ई'' के अनुसार गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. अंकित की जानी चाहिये तथा उसमें G.S.T. के अलावा समस्त प्रकार के टैक्स एवं आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा या परिवहन प्रभार नहीं दिया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी परिशिष्ट ''ई'' में अंकित परिसरों पर दी जाएगी।

(v) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।

(vi) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नही होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नही दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दी जावेगी।

(vii) सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त माल विभागीय स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के अनुसार पाये जाने पर यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नहीं की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो बोली निरस्त की जा सकेगी।

(viii) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नहीं दी गई दरें अमान्य होगी व बोली निरस्त की जा सकेगी।

(ix) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

(x) बोलीदाता द्वारा बोली सूचना में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली सूचना में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(xi) किसी आईटम की विभिन्न साईज है तो (BOQ) में सभी साईज की एक ही दर अंकित की जावे। यदि विभिन्न साईज की अलग–अलग दरें अंकित की जावेगी तो उसकी बोली अमान्य की जावेगी।

8. <u>दरों की तुलनाः–</u>

(i) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार राजस्थान के उद्यमों द्वारा उत्पादित/विनिर्मित माल को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित/विनिर्मित माल की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के तहत क्रय वरीयता दी जावेगी।

(ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार यदि सामान के प्रदाय का प्रस्ताव करने वाला कोई बोलीदाता राजस्थान में अवस्थित कोई डीलर है और बोलीदत्त मूल्य राजस्थान के उद्यमों द्वारा प्रस्तावित दरों के बराबर है और सामान की किस्म और विनिर्देश वही है तो राजस्थान के उद्यमों को ऐसे स्थानीय डीलर पर क्रय अधिमान दिया जावेगा।

(iii) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए भी दरों की तुलना की जावेगी।

(iv) भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम 1995 के अनुसार यदि सामान के प्रदाय का प्रस्ताव करने वाला कोई बोलीदाता राजस्थान में अवस्थित कोई डीलर है और निविदत्त मूल्य राजस्थान के उद्योगों द्वारा प्रस्तावित दरों के बराबर है और सामान की किस्म और विनिर्देश वही है तो राजस्थान के उद्योगों को ऐसे स्थानीय डीलर पर क्रय अधिमान दिया जावेगा।

9. <u>बातचीत</u> (Negotiation) :–

(i) जहाँ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत (Negotiation) नहीं किया जावेगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी :–

(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या

(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।

(ii) न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्यांकन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

10. <u>बोली की विधि मान्यताः–</u>

दरों की वैधता बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से 90 दिन की अवधि तक के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

11 अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईंग आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेशिफिकेशन, ड्राईंग आदि के

आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना निवेदन महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

12. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।

13 <u>स्पेसिफिकेशन :–</u>

(i) प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएं बोली एवं बोली शर्तों से संबंधित परिशिष्ट में निर्धारित स्पेसिफिकेशन/ ट्रेडमार्क/सैम्पल के पूर्णतया अनुरूप होंगी। ऐसे मामलों में जहॉ कोई स्टैण्डर्ड या अनुमोदित नमूना या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति–उत्तम गुणवता एवं विवरण की वस्तु सप्लाई की जावेगी। प्रदाय की गई वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा तथा किया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।

(ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुऐ निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी तथा बोलीदाताओं को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।

(iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाताओं द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 दिन के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूली जावेगी। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 दिन पश्चात बोलीदाताओं द्वारा विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।

(iv) बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट 'ई' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रस्तुत बोली निरस्त कर दी जावेगी।

14. <u>सैम्पल :–</u>

(i) बोलीदाता द्वारा बोली के साथ मांगे जा रहे वस्तुओं के सैम्पल बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित कपड़े में सील कर प्रस्तुत किए जावेंगे एवं वस्तुओं के सैम्पल की विभागीय उपापन समिति द्वारा उचित समझे जाने पर किसी भी राजकीय/सरकार द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रयोगशाला से जॉच करवाई जा सकेंगी। इस संबंध में विभागीय उपापन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। यदि सैम्पल की जाँच कराई जाती है तो जाँच पर होने वाला व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा। सैम्पल की जाँच के उपरान्त जाँच पर व्यय की राशि बोलीदाता द्वारा जमा कराई जावेगी। यदि कोई बोलीदाता जाँच शुल्क की राशि जमा नहीं कराता है तो बोलीदाता की जमा बोली प्रतिभूति में से जाँच शुल्क की राशि काट ली जावेगी।

(ii) प्रत्येक सैम्पल पर बोलीदाता द्वारा सैम्पल का विवरण उपयुक्त रूप से सैम्पल पर लिखकर या सैम्पल के साथ स्लिप पर सैम्पल का विवरण लिखकर सुरक्षित ढंग से बांधकर प्रस्तुत करना होगा तथा बोलीदाता का नाम व आईटम की क्रम संख्या भी अंकित करनी होगी।

(iii) अनुमोदित सैम्पल को संविदा समाप्त होने के बाद 6 माह तक की अवधि या गारण्टी अवधि तक जो बाद में हो, निःशुल्क विभाग में रखा जावेगा। विभाग के पास रही अवधि के दौरान सैम्पल में किसी प्रकार की क्षति, टूट, फूट, परीक्षण, जांच आदि के दौरान हानि के लिए विभाग उत्तरदायी नही होगा।

(iv) निर्धारित अवधि की समाप्ति पर बोलीदाता द्वारा नमूना/नमूनों को वापिस लिया जावेगा। विभाग द्वारा सैम्पल को लौटाने के संबंध में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नही की जावेगी। संविदा समाप्ति के पश्चात यदि 6 से 9 माह की अवधि के भीतर या गारण्टी/वारन्टी अवधि की समाप्ति के तीन माह के भीतर (जो बाद में हो) बोलीदाता द्वारा सैम्पल प्राप्त नही किये जाते है तो विभाग द्वारा इनका समपहरण (Forfeiture) कर लिया जावेगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नही किया जावेगा।

(अ) असफल बोलीदाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किये गऐ सैम्पल एवं बोली प्रतिभूति राशि की वापसी विभागीय सूचना के एक माह के भीतर प्राप्त कर लिये जावेंगे । विभाग के पास रही अवधि में इन सैम्पल में किसी प्रकार की क्षति, टूट–फूट, या परीक्षण, जांच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार या विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। जो सैम्पल निर्धारित अवधि में वापिस नही लिये जावेंगे, उनका समपहरण (Forfeiture) किया जावेगा तथा उसकी लागत आदि के लिए कोई दावा स्वीकार नही किया जावेगा।

15. <u>निरीक्षण एवं परीक्षण</u> :–

(i) (अ) महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर सप्लायर के परिसर में जा सकेगा तथा वह संबंधित वस्तु के विनिर्माण के समय या उसके पश्चात जैसा भी निश्चित किया जाऐगा, माल/उपकरण/मशीनरी की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच कर सकेगा।

(ब) राजस्थान की लघु उद्योग ईकाई की उत्पादन क्षमता एवं किस्म नियंत्रण हेतु उत्पादन ईकाई का राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के क्रम में सप्लाई आदेश से पूर्व विभागीय कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जावेगा।

(ii) बोलीदाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम, वर्कशाप का पूर्ण पता देगा जहां सप्लाई होने वाले माल का निरीक्षण किया जा सके तथा उन व्यक्तियो के नाम व पते देगा जिनसे इस संबंध में सम्पर्क किया जावे। व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले डीलर को अपने बैंकर्स से जारी एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(iii) सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जावेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है या नही। जहाँ आवश्यक हो, विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहाँ परीक्षण राज्य/केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रयोगशालाओ/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहो में करवाया जावेगा तथा परीक्षण पर यदि सामान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाऐगा तो उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

(iv) <u>परीक्षण प्रभार</u> :– बोलीदाता से सामान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जायेगा उसके परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया

समान विहित स्तर या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नही है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेगे।

(v) <u>निरीक्षण प्रभारः</u>– विभाग द्वारा जिन वस्तुओं की प्रदायगी सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहो से निरीक्षण (Inspection) उपरान्त ही प्राप्त की जावेगी, उन वस्तुओं का निरीक्षण बोलीदाता द्वारा कराये जाने पर निरीक्षण की एवज में देय निरीक्षण प्रभार की राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा। एवं इस हेतु बोलीदाता को सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहों में जमा कराई गई राशि की रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

(vi) <u>रद्द करना **(Rejection)**</u> :– निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुऐ अनुमोदित नहीं की जाऐगी उन्हे रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में <u>निर्धारित सप्लाई अवधि</u> में ही स्वयं की लागत पर उन्हें बदला जावेगा।

(vii) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जावे तो महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित कर अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटोती कर सकेंगे। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।

(viii) आपूर्ति किया गया माल/आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरूद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

16. <u>माल की सप्लाई</u> :–

(i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति मे उनमे कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूट–फूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले मे हुई हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा । इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ii) यदि बोलीदाता माल की सप्लाई बोलीदाता द्वारा महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर की संतुष्टि के अनुसार नही की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर किसी भी समय संविदा की निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए माल सप्लाई की संविदा निराकृत (Repudiate) कर सकते है।

(iii) <u>बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुड्स ट्रान्सपोर्ट के जरिये</u> भाडा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर FOR जयपुर मुख्यालय भेजा जाऐगा।

17. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

18. <u>सुपुर्दगी अवधि</u> (Delivery Period)

(i) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह ई–बोली आमंत्रण सूचना में अंकित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा सप्लाई आदेश जारी होने की तिथि से शुरू होगी।

(ii) फर्म निर्धारित समयावधि में यदि सामान की आपूर्ति करने में असफल रहती है तथा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई की अवधि बढवाना चाहती है, तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए जिनके कारण सप्लाई अवधि बढ़ाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सप्लाई अवधि बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया जावेगा।

(iii) निर्धारित की गयी प्रदायगी अवधि के बराबर अवधि तक, परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित, प्रदायगी अवधि में अधिकतम अभिवृद्धि की जा सकती है, किन्तु जिन मामलों में फर्म द्वारा सामग्री विदेशों से आयात करके सप्लाई की जानी है या किसी सिस्टम से सम्बन्धित सामग्री सप्लाई किये जाने बाद इंस्टालेशन किया जाना है वहाँ प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर संज्ञान में लाई गई बाधाओं से सन्तुष्ट होने पर उपापन संस्था द्वारा सप्लाई अवधि आगे भी बढ़ाई जा सकेगी।

19. <u>माल के परिमाण (**Quantity**) में वृद्धि एवं पुनः आदेश (**Repeat Order**)</u>

(i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(ii) अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Order) संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे। यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियाँ आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया है। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(iii) अन्तिम प्रदायगी समाप्त होने की दिनांक से एक माह के बाद प्रदायगी के लिए पुनरादेश नहीं दिये जायेंगे। यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो विभाग सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत आयेगी उसकी वसूली बोलीदाता से की जायेगी।

20. **संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजन** :– सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (माल/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त (क्रय) की जावेगी जिसकी बोली स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन विषयवस्तु गंभीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यपूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

21. <u>बोली प्रतिभूति</u> (Bid Security)

(i) राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य बोलीदाताओं द्वारा बोली के साथ बोली आमंत्रण सूचना में अंकित राशि अनुसार निर्धारित प्रकिया में बोली प्रतिभूति जमा करवाई जावेगी। बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त बोली, संक्षिप्त कार्यवाही के बाद निरस्त कर दी जावेगी।

(ii) **बोली दाता द्वारा ई–बोली आमंत्रण सूचना में अंकित तिथि एवं समय** पर बोली प्रतिभूति राशि ई–ग्रास (eGRAS) चालान की प्रति उपापन संस्था के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। बोली प्रतिभूति राशि के चालान की प्रति के अभाव में तकनिकी बिड नहीं खोली जावेगी।

(iii) बोली प्रतिभूति राशि के चालान की फोटो प्रति तकनिकी बिड के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करनी होगी।

(iv) The bidder required to pay the bid security amount specified in the Terms and Condition of the bid,, in the following cases, namely:-

i. When the bidder withdraws or modifies its bid after opening of bids;

ii. When the bidder does not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;

iii. When the bidder fails to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;

iv. When the bidder does not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and

v. If the bidder breaches any provision of code of integrity, prescribed for bidding, specified in the Act and chapter VI of RTPP Rules 2013 .

22. <u>करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि</u> (Agreement and Performance security) :–

(अ) ई–बोली आमंत्रण सूचना में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 10 दिन में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है। अनुबन्ध करार के पश्चात आपूर्ति आदेश दिया जावेगा। करार पत्र निर्धारित प्रारूप में निर्धारित अवधि में निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है।

(ब) बोलीदाता द्वारा निर्धारित प्रारूप में 500/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा :–

(स) करार पत्र के साथ जिस सामान के लिए बोली स्वीकार की गई है, उसके लिए निम्नांकितानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) राशि निर्धारित रूप में जमा करानी होगी :–

(i) कार्य सम्पादन प्रतिभूतिः– कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केंद्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

(ii) सफल बोलीदाता द्वारा कार्य आदेश के मूल्य के 2.5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति ;Performance Security) राशि जमा कराई जावेगी।

(iii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी :-

(क) "ई. जी. आर. ए. एस. (e-GRAS) के माध्यम से जमा";

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिए नियम 42 में वर्णित के समान होंगी।

(ड.) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

(च) खण्ड ख से ड़ के प्ररूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

(अ) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी की अवधि (यदि हो तो) के समाप्ति होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्ध कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, निम्न अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रतिदाय (Refund) किया जाऐगा :-

(क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आईटम की अन्तिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर।

(ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अन्तिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर।

(ix) <u>कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण</u> (Forfeiture of Performance Security) :- कार्य सम्पादन प्रतिभूति का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) किया जाऐगा :-

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लघंन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाऐगा। इस संबंध में महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा।

(ग) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा कार्य सम्पादन प्रतिभूति को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाऐगी।

(xi) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएंगे :–

(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnrership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति।

(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस् के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(स) एकमात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता, टेलिफोन नम्बर।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र

(xii) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म अथवा कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाये।

23. <u>बीमा</u> :– बोलीदाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किये जाएंगे। यदि सप्लायर चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (युद्ध, दंगे, विद्रोह आदि) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग/राज्य सरकार से इन प्रभारों के भुगतान की अपेक्षा नहीं की जाऐगी।

24. <u>भुगतान</u> :–(i) सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गऐ माल के संबंध में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियो में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाऐगा।

(ii) माल के भुगतान करने पर किये गऐ प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेंगे।

(iii) विवादस्पद आईटम के संबंध में 10% से 25% तक राशि रोकी जाऐगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा ।

(iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाऐगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाऐगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होगे।

(v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाऐगा तथा सफल बोलीदाता विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा।

(vi) <u>परिनिर्धारित क्षति</u> (Liquidated Damages) :–
परिनिर्धारित क्षति के साथ प्रदायगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन आईटम के मूल्यों के लिए की जाऐगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा है :–

(क) विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए – 2.5%

(ख) विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अधिक के लिए – 5%

(ग) विहित प्रदायगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए – 7.5%

(घ) विहित प्रदायगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए –10%

(ड.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।

(छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए प्रदायगी अवधि में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु सप्लायर द्वारा यह आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त किया जायेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद।

(ज) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो उपापन संस्था प्रदायगी अवधि में परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित वृद्धि कर सकेगा।

<u>नोट</u> : प्रदायगी अवधि के अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्यान्ह पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नहीं की जावेगी।

25 <u>वसूलियाँ</u>:–परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट–फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द किए गए माल (Goods) की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) से की जायेगी । यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाऐगी।

26. बोली शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्तें स्वीकार नहीं की जावेगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाऐगा। किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाऐगा

जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो ।

27. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली सूचना में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

28. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाऐगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाऐगी।

29. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किये हुये है, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।

30. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिया चाही जा रही है वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/ प्रतिलिपियां मान्य नही होगी।

31. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।

32. बोलीदाताओं को यदि आवश्यक हो, तो आयाता लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए स्वंय की व्यवस्था करनी होगी।

33. बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने के बावजूद विभागीय उपापन समिति द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होना पाये जाने पर बोलीदाता से वांछनीय दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण, आरटीपीपी नियम 2013 के प्रावधानानुसार प्राप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं ।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली दस्तावेज की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप)

परिशिष्ट ''द''

महानिदेशक, गृह रक्षा मुख्यालय राज. जयपुर

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन आईटम/स्टोर/कार्य के लिए बोली (Bid) दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु)/थोक विक्रेता/थोक वितरक/सोल सेलिंग एण्ड मार्केटिंग एजेण्ट/प्राधिकृत नियमित डीलर हूँ/हैं। मेरे/हमारे द्वारा विभागीय परिशिष्ट–अ, विभागीय परिशिष्ट–ब, विभागीय परिशिष्ट–स, विभागीय परिशिष्ट–ई तथा बोली आमंत्रण सूचना को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे/हमारे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पालना की जायेगी। मैं/हम उपरोक्त को अक्षरशः स्वीकार करते हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जावे तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

We are the manufacturer of .... We hereby certify that M/S (Name) .... of (Address) .... is our authorized dealer in the State of Rajasthan for Supply to the Government. He is authorized to participate in the Bid Notice No. .... Dated .... We hereby undertake to Supply the material through him as desired.

(...)	Signature of Manufacturer
Name	Name ....
Signature Attested	Designation ....
	Seal of Manufacturer

अनुलग्नक 'I'

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Code of Integrity:-

Any person participating in this procurement process shall -

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) Not misrepresent of ormit any fact that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) Not indulge in any coercion indluding impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) disclose conflict of interest, if any and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest. A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
a. Have controlling partners/shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement/providing of .... in response to the Notice Inviting Bids No. .... Dated......................I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we prosess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence as is required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankdupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :
Place :

Signature of bidder
Name :
Designation :
Address :

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority :
Director General, Home Guards, Rajasthan Jaleb Chowk Jaipur.

The designation and address of the Second Appellate Authority :
Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Home, Government of Rajasthan, Secretariate, Jaipur.

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, ommission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement.
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
(d) Cancellation of a procurement process.
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as the numbers of are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of concerned Appellate Authority .

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall -

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse of inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No. 1
(See rule 83)
Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. .... of ....

Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii) Official address, if any :
   (iii) Residential address :
2. Name and address of the respondent (s) :
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appeaaled against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal :
   ....
   .... (Supported by an affidavit)

7. Prayer : ....
   ....
   ....
   Place ....
   Date ....

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors
   Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Fiancial Bids on the following basis :
   i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
   ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
   iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.
   If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Security Amount shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities
   (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
   (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document dues to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Conract.
   (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplied fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.
3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods).

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the secodn lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

DECLARATION

We solemnly declare that we have attached all the documents mentioned here above and mentioned in the Bid documents. We also understand that non-compliance in submission of any documents will be treated as no-responsive Bid and we will loose our claim to participate in the Bid automatically and our Bid will be liable to rejection.

Signature of Authorized person___________________

Nmae of Authorized person_____________________

Seal of the Company

परिशिष्ट–"र"

PROCEDURE FOR e-GRAS CHALLAN GENERATION CIRCULAR

राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

क्रमांकः प. 6 (5) वित्त/साविलेनि/2018 जयपुर, दिनांक : 27.04.2020

परिपत्र

विषयः–ई–ग्रास पर ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रकिया हेतु एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं RISL फीस जमा कराने एवं RISL फीस को कोषालय सचिवालय में संधारित पी.डी. खाते में हस्तान्तरित किये जाने की प्रकिया।

लोक उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित करने के उद्देश्य से ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर ई–निविदाओं के प्रेषण के लिए एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं RISL फीस को ऑनलाईन ई–ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना आवश्यक है। इसके अन्तर्गत ई–ग्रास पर एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी राशि एवं RISL फीस जमा कराने एवं RISL फीस को कोषालय सचिवालय में संधारित पी.डी. खाते में हस्तान्तरित किये जाने की क्रिया विधि निम्नानुसार है :–

1. बिडर द्वारा ई–ग्रास पर प्रोफाइल बनाने के बाद ई–प्रोक्योरमेन्ट हेतु बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं RISL फीस का भुगतान एक ही चालान से ऑनलाइन जमा करवाया जायेगा। इस राशि में से बोली दस्तावेज मूल्य एवं RISL फीस रिफण्ड योग्य नहीं होगी। बिड सिक्योरिटी हेतु बजट मद 8443–103, 108 एवं 109 में जमा राशि नियमानुसार संबंधित विभाग द्वारा रिफण्ड किये जाने हेतु सिस्टम में व्यवस्था की गयी है। RISL फीस (i) सिविल विभागों की निविदाओं हेतु बजट मद 8658-00-102-(16)-[01] (सिविल विभाग), (ii) निर्माण विभागों की निविदाओं हेतु बजट मद 8658-00-102-(16)-[02] (निर्माण विभाग) (iii) वन विभाग की निविदाओं हेतु बजट मद 8658-00-102-(16)-[03] (वन विभाग) के अन्तर्गत जमा की जायेगी। बोली दस्तावेज मूल्य हेतु निर्धारित राजस्व मद में बिडर द्वारा राशि जमा कराने हेतु ई–ग्रास पर प्रावधान उपलब्ध रहेगा।

2. बिड सिक्योरिटी जमा कराने के लिए सभी विभागों हेतु बजट मद 8443–103 जबकि निर्माण कार्यों हेतु बिड सिक्योरिटी बजट मद 8443–108 (निर्माण विभागों) एवं 8443–109 (वन विभाग) में जमा कराने की दशा में डिविजन कोड का चयन ई–ग्रास पर किया जाना अनिवार्य होगा।

3. इस प्रक्रिया से जमा राशि का लेखांकन ई–कोषालय के स्तर पर किया जायेगा। ई–ग्रास पर उपलब्ध विभागवार/कार्यालयवार रिपोर्ट्स में जमा राशि से संबंधित रिपोर्ट्स प्रदर्शित की जायेगी।

4. ई–कोषालय में बिन्दु संख्या 1 में वर्णित बजट मद 8658-00-102-(16)-[01], [02], [03] के अन्तर्गत जमा RISL फीस को माह में दो बार बजट मद 8782–101 (Inter Treasury Transfer) के माध्यम से कोषालय (सचिवालय) जयपुर में RISL के पी.डी. खाते में जमा किये जाने हेतु समायोजन बिल के माध्यम से हस्तान्तरित किया जायेगा। जिसे कोषालय (सचिवालय) जयपुर द्वारा उसी माह में मद 8782–101 को माईनस क्रेडिट करते हुए RISL के पी.डी. खाते में अलग–अलग समायोजन बिलों के माध्यम से हस्तान्तरित किया जाना अनिवार्य होगा। यह सूचना ई–ग्रास से वॉम पर Seamless Data Sharing की व्यवस्था से हस्तांतरित की जायेगी। सिस्टम पर उपलब्ध रिपोर्ट्स के माध्यम से संबंधित निर्माण खण्ड ई–ग्रास पर जमा राशि व रिफण्ड राशि का स्टेटस भी देख सकते है।

5. निर्माण कार्यों से संबंधित बिड हेतु उक्त चालान से संबंधित राशि निर्माण लेखों में फार्म 80 में प्रदर्शित होने पर कोषालयों द्वारा चालान की प्रति प्रत्येक मद में जमा राशि के लेखों के साथ महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करवायी जायेगी।

6. उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत बिडर को प्रारम्भ में ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर बिड भरने के साथ–साथ ई–ग्रास पर एक चालान के माध्यम से ई–भुगतान का चयन करते हुए अपेक्षित राशि जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया को एन.आई.सी. द्वारा ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल से ई–ग्रास का इन्टीग्रेशन करते हुए अविलम्ब लिंक करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। व्यवस्था स्थापित होने तक बिडर को ई–ग्रास पर भुगतान होने के उपरान्त चालान CIN नम्बर के साथ जनरेट कर ई–प्रोक साईट पर स्केन कर अपलोड करना होगा। ई–ग्रास एवं ई–प्रोक्योरमेन्ट का लिंक स्थापित होने के उपरान्त अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा ई–ग्रास सिस्टम ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल से बिडर का नाम लेने के स्थान पर सिस्टम जनरेटेड कोड फेच करेगा तथा बिड फाइनल होने के बाद बिडर का नाम पूर्व के कोड से फ्लेग करते हुए किया जाना सुनिश्चित करेगा जिससे बिडर को होने वाले रिफण्ड भुगतान में असुविधा न हो। उपापन संस्था द्वारा ई–ग्रास पर कार्यालयवार उपलब्ध रिपोर्टस एवं ई–कोषालय के TY-33 से जमाओं का मिलान भी सुनिश्चित किया जावेगा।

7. ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल के ई–ग्रास पोर्टल से इन्टीग्रेशन के उपरान्त ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर निर्माण कार्यो से संबंधित बिड भरने हेतु बजट मद 8443–108,109 में बनाये गये चालान की राशि निर्माण लेखों में सम्मिलित किये जाने के उद्देश्य से प्रविष्टि एक कोड के साथ एन.आई.सी. वॉम को उपलब्ध करायी जावेगी। बिड खुलने के बाद उक्त प्रविष्टि हेतु संवेदक का नाम एवं अन्य विवरण एन. आई. सी. (वॉम) को उपलब्ध कराया जायेगा।

एनआईसी (वॉम) द्वारा तद्नुसार ही प्रविष्टि को निर्माण लेखों में सम्मिलित किया जावेगा, जिसके पश्चात ही बिड सिक्योरिटी राशि रिफण्ड किये जाने हेतु उपलब्ध होगी। इस हेतु ई–ग्रास व ई–प्रोक पोर्टल का इन्टीग्रेशन व लिंक किया जायेगा। ई–प्रोक पोर्टल से भुगतान हेतु संवेदक को ई–ग्रास पर आने का लिंक तथा ई–ग्रास पर भुगतान करने के तुरन्त पश्चात् ई–प्रोक पोर्टल पर जाने का लिंक भी दिया जायेगा।

8. ई–प्रोक्योरमेन्ट हेतु बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं RISL फीस का भुगतान एक ही चालान से ई–ग्रास के माध्यम से जनरेट किये जाने पर संबद्ध एजेन्सी बैंक को तीनों बजट मदों की कुल राशि एवं जीआरएन नम्बर के साथ प्रेषित किया जायेगा तथा बैंक द्वारा जमा राशि के स्क्रॉल दिये जाने पर सिस्टम पर ई–कोषालय को पृथक–पृथक उक्त तीनों मदो में जमा राशि के अनुसार चालान नम्बर जनरेट करने, लेखा सूचियां तैयार करने एवं लेखांकन करने हेतु व्यवस्था की जायेगी।

9. ई–कोषालय के स्तर पर उक्त जमा राशि का पूर्ण लेखांकन तथा मिलान दैनिक आधार पर अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. ई–प्रोक पोर्टल के अतिरिक्त की जाने वाली बिड हेतु (जिनमें RISL Fees जमा नहीं होती) भी बिड सिक्योरिटी हेतु बजट मद 8443–103, 108, 109 व बोली दस्तावेज मूल्य राशि निर्धारित राजस्व बजट मद में जमा कराने हेतु सिंगल चालान से उक्त माध्यम से बिडर/कार्यालय द्वारा जमा करवायी जा सकेगी। इस व्यवस्था में मेन्यूअल एवं ई–मोड उपलब्ध रहेंगे।

11. यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

अतः उक्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना की जावे।

27/4/2020

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव,
वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
4. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान ,जयपुर को सिस्टम पर एन.आई.सी. के माध्यम से पूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
7. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी समस्त विभाग को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
8. समस्त कोषाधिकारी को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर को सिस्टम में उक्त प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु।
10. निदेशक (तकनीकी), वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र को वित विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने का श्रम कराएँ।
11. रक्षित पत्रावली।

27/4/2020

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR 5/2020)

गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट – ई
बैल्ट ब्राउन (चमडा) क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क्र.सं. 1 से 33 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें।

1. **बैल्ट (चमडा)** के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेसिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

(क) एफ.ओ.आर.:– केन्द्रीय भण्डार गृह रक्षा मुख्यालय, एम.आई. रोड, जयपुर।

(ख) कुल आपूर्ति अवधिः– 60 दिवस

(ग) मात्रा, नाप एवं रंगः– 15000 नग (ब्राउन – 13200 नग, काला – 1800 नग)

रंग – विभागीय नमूने के अनुसार

साईज	बैल्ट ब्राउन (चमडा)	बैल्ट वेब काली
5 से.मी. X 136 से.मी	3200	300
5 से.मी. X 140 से.मी.	10000	1500
कुल योगः–	**13200**	**1800**

(घ) **स्पेसिफिकेशन :–**

The Belt Leather as per Departmental sample. Quality & thickness of brass metal used should be as per Deptt. sample. Buckle, slide, hook shall be of chromium plated brass.

नमूना एवं परीक्षण :–

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना नमूना उक्त स्पेशीफिकेशन पैरा–1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पेटर्न विभागीय नमूना के अनुरूप होना चाहिए । विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में महानिदेशक, गृह रक्षा निदेशालय, विद्याधर नगर सैक्टर–4 जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
2. बोली के साथ सप्लाई किये जाने वाले बैल्ट ब्राउन (चमडा) एवं काली 140 से. मी. के एक–एक नग सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्वा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावें।
3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पेटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा, पीतल आदि) की गुणवता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी । अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नही है।
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे ।

5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिदेशक, गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णत सक्षम होगें ।

6. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार :- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है। तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जायेगें।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा राजस्थान,
जयपुर।

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है । इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट – ई
बैरट कैप क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क्र.सं. 1 से 33 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें।

1. **बैरट कैप** के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेसिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(क) एफ.ओ.आर. :– केन्द्रीय भण्डार गृह रक्षा मुख्यालय, एम.आई. रोड, जयपुर।

(ख) कुल आपूर्ति अवधि :– 60 दिवस

(ग) मात्रा, नाप एवं रंग :– 20000 नग खाकी

1. खाकी– 17900 नग
2. काली– 2100 नग

(घ) **स्पेसिफिकेशन :–**

The Beret Cap are to be supplied in the following shades and Sizes :- Quantity in Nos.

DIMENSIONS OF THE " BERET CAP"

size	Head Band		Diameter of circular crown in cm B	Depth of Bevel to seam on polypropylene tape all around in cm C	Khakhi	Black
	Diameter in cm A	circumference in cm				
Small	17.75	56.5	26.0	5	4000	100
Medium	19.00	60.5	27.5	5	10000	1700
Large	20.25	64.5	28.5	5	3900	300
Tolerance	±0.5	±1.0	±0.5	±0.3		

NOTE : for Dimension Test, Lay Beret flat on a horizontal surface. Remove all creases and wrinkle without distorting it. Measure correct to the nearest millimeter as per the dimensions given in the above table.

Beret Cap should be one piece item per the IS specification No.5085-1976 (First Revision) with the following amendments

1. Mass/square meter in gms -- 725±5%
2. Wool grade 64^S as per IS 5911-77
3. **Lining** of Beret Cap are required in following sequence
   - Satin fabric as per specification + Jali Cloth As Per Departmental Sample.
4. Method of packing in following manner
   - Single piece packing in Polyethylene bag
   - 50 pieces in one Polyethylene bag (one Bundle)
   - 1000 pieces (20 Bundle) in one bale/case

     or
   - 500 pieces (10 bundles) in one bale/case

नमूना एवं परीक्षण :–

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशीफिकेशन पैरा–1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पेटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में महानिदेशक, गृह रक्षा निदेशालय विद्याधर नगर सैक्टर–4, जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
2. बोली के साथ सप्लाई की जाने वाली बैरिट कैप खाकी एवं काली मिडियम साईज का एक–एक नग सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्दा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।

3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पेटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा, पीतल, आदि) की गुणवता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी । अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नही है ।
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन / सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे ।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिदेशक, गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णत सक्षम होगें ।
6. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेगें । यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगें ।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा राजस्थान,
जयपुर।

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है । इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट – ई
कैप बैज क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क्र.सं. 1 से 33 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें।

1. **कैप बैज** के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेसिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(क) एफ.ओ.आर. :– केन्द्रीय भण्डार गृह रक्षा मुख्यालय, एम.आई. रोड, जयपुर।

(ख) कुल आपूर्ति अवधि :– 60 दिवस

(ग) मात्रा, नाप एवं रंग :– 13000 नग
राज. गृह रक्षा दल –11200 नग
सीमा गृह रक्षा दल – 1800 नग

(घ) **स्पेसिफिकेशन :–**

This is a Departmental Cap Badge of White Metel Chromium plated weighting 13 gms. each and a veriation of 5% may be allowed on either side. The Cap Badge should be supplied strictly according to the departmental sealed sample in it's shape, size and design which can be seen in the office of the Director General of Police, Home Guards, Vidhyadhar Nagar, Jaipur on working days during office hours.

A) कैप बैज राजस्थान गृ.र.द. 11200 नग – The Cap Badge will have an Ashok Emblem on the top of the badge with motto "Satyameve Jayate"(सत्यमेव जयते) written in Devnagri script just below the Ashok emblems and word Rajasthan Home Guards in Hindi (राजस्थान गृ. र. द.) will be embossed in the Monogram.

B) कैप बैज सीमा गृ.र.द. 1800 नग – The Cap Badge will have an Ashok Emblem on the top of the badge with motto "Satyameve Jayate"(सत्यमेव जयते) written in Devnagri script just below the Ashok emblems and word Rajasthan Home Guards in Hindi (सीमा गृ. र. द.) will be embossed in the Monogram.

In case of any doubt about measurement etc. as laid down in para-1 above, it is made clear that the measurement will be strictly according to the sealed sample.

नमूना एवं परीक्षण :–

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशीफिकेशन पैरा–1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पेटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में महानिदेशक, गृह रक्षा मुख्यालय, विद्याधर नगर, जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
2. बोली के साथ सप्लाई किये जाने वाले कैप बैज (राजस्थान गृ.र.द एवं सीमा गृ.र.द.) का एक–एक नग सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्वा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।
3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पेटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा, पीतल, आदि) की गुणवता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता

Q. Lan

के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी । अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नही है ।

4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन / सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे ।

5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिदेशक, गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णत सक्षम होगें ।

6. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेगें । यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगें ।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा राजस्थान,
जयपुर।

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है । इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट – ई
फोरमेशन चिन्ह क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क्र.सं. 1 से 33 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें।

1. **फोरमेशन चिन्ह** के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेसिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(क) एफ.ओ.आर. :– केन्द्रीय भण्डार गृह रक्षा मुख्यालय, एम.आई. रोड, जयपुर।

(ख) कुल आपूर्ति अवधि :–60 दिवस

(ग) मात्रा, नाप एवं रंग :– 10000 नग

(घ) **स्पेशिफिकेशन :–**

काले बैस पर सफेद डव As per the Departmental Sample

नमूना एवं परीक्षण :–

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशीफिकेशन पैरा–1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पेटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में महानिदेशक, गृह रक्षा मुख्यालय, विद्याधर नगर, जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
2. बोली के साथ सप्लाई किये जाने वाले फोरमेशन चिन्ह का एक नग सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्वा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।
3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पेटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा, पीतल, आदि) की गुणवता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी । अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नही है ।
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन / सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे ।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिदेशक, गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णत सक्षम होगें ।
6. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेगें । यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगें ।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा राजस्थान,
जयपुर।

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है । इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट – ई
जर्सी खाकी क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क्र.सं. 1 से 33 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें।

1. **जर्सी खाकी** के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेसिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(क) एफ.ओ.आर. :– केन्द्रीय भण्डार गृह रक्षा मुख्यालय, एम.आई. रोड, जयपुर।

(ख) कुल आपूर्ति अवधि :– 60 दिवस

(ग) मात्रा, नाप एवं रंग :– 7100 नग

जर्सी खाकी		
क्र.स.	तदाद	साईज
1	200	36
2	2000	38
3	3000	40
4	1700	42
5	200	44
कुल	7100	

(घ) **स्पेसिफिकेशन :–**

The Fell, Finish & Shade shall be " As per the Departmental Sample" Which can be seen in the office.

नमूना एवं परीक्षण :–

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशीफिकेशन पैरा–1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पेटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में महानिदेशक, गृह रक्षा मुख्यालय, विद्याधर नगर, जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
2. बोली के साथ सप्लाई किये जाने वाली खाकी जर्सी का 42 एवं 44 नम्बर का एक–एक नग सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्वा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।
3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पेटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा, पीतल, आदि) की गुणवता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी । अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नही है ।

4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन / सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे ।

5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिदेशक, गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णत सक्षम होगें ।

6. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेगें । यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेगें ।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा राजस्थान,
जयपुर।

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है । इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट – ई
कोट पारका क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क्र.सं. 1 से 33 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें।

1. **कोट पारका खाकी** के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेसिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(क) एफ.ओ.आर. :– केन्द्रीय भण्डार गृह रक्षा मुख्यालय, एम.आई. रोड, जयपुर।

(ख) कुल आपूर्ति अवधि :– 60 दिवस

(ग) मात्रा, नाप एवं रंग :– 2300 नग

(घ) **स्पेसिफिकेशन :–**

SPECIFICATION FOR COAT PARKA

i. Sizes :

Size	Length	Chest	Sleeve	Quantity
Small	29"	48"	24"	400
Medium	31"	50"	25"	1300
Large	33"	52"	26"	600

Technical Parameters : The Coat Parkha Should be made of Khaki cloth of polyster Viscose 65/35. The inner lining shallbe stiched with outer part as per departmental sample. Shade of item shall be as per department sample on the following specification.

S.No.	Basic Materials	Specifications Details
1.	The outer of the main body should be made of khaki cloth of polyester viscose 63/35. The Same shall be written in seleage of fabric. The GSM fabric shall be 240 gm/mtr sq.	As per department sample
2.	Inner lining of Pile fabrics shall be stitched and attached with the outer part.	As per department sample
3.	Heavy duty Slide fasteners in Khaki shade at the front of coat. The hood shall be fixed with two chit button in the back of neck.	As per department sample
4.	The feel, finish, shade & patter shall be stricly as per sealed sample of deparment	As per department sample

vi. Tenderer should submit Two Number of sealed sample of one size "M" and one size "L' according to the specification mentioned above. If there is any doubt it is cleared that the patterned should be as per department sample.

नमूना एवं परीक्षण :–

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशीफिकेशन पैरा–1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पेटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में महानिदेशक, गृह रक्षा मुख्यालय, विद्याधर नगर, जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

2. बोली के साथ सप्लाई किये जाने वाली कोट पारका खाकी मिडियम साईज एवं लार्ज साईज का एक–एक नग सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्वा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।

3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पेटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा, पीतल, आदि) की गुणवता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी । अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नही है ।

4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन / सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे ।

5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिदेशक, गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णत सक्षम होगें ।

6. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेगें । यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगें ।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा राजस्थान,
जयपुर।

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है । इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट – ई
लेनयार्ड मय विशिल कय हेतु शर्ते एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क्र.सं. 1 से 33 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें ।

1. **लेनयार्ड मय विशिल** के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(क) एफ.ओ.आर. :– केन्द्रीय भण्डार गृह रक्षा मुख्यालय, एम.आई. रोड, जयपुर

(ख) कुल आपूर्ति अवधि :– 60 दिवस

(ग) मात्रा, नाप एवं रंग :– 10000 नग

Lanyard with Whistle in following shades :-

A 8000 Nos. Khakhi

B 2000 Nos. Black

(घ) **स्पेशिफिकेशन :–**

Lanyard - As per DGS&D Specification No. G/TEX/Misc/53& DGS&D drawing No. 23821

Whistle - The Whistle Brass R.H.G. and B.H.G. are required to be supplied as per Department Sample and word "R.H.G." and B.H.G. engraved in English. The weight of Whistle Brass should be 14 Grams as that of sealed sample of the deptt. and only 5% variation will be allowed in weight .

नमूना एवं परीक्षण :–

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना उक्त स्पेशीफिकेशन पैरा–1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पेटन विभागीय नमूना के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में महानिदेशक, गृह रक्षा मुख्यालय, विद्याधर नगर, जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
2. बोली के साथ सप्लाई की जाने वाली लेनयार्ड मय विशिल खाकी एवं काली रंग का एक–एक नग सीलड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्वा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।
3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पेटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा, पीतल, चमडा आदि) की गुणवता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नही है।
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
5. विभागीय नमूना तथा DGS&D स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिदेशक, गृह रक्षा मुख्यालय,

R. Lam

राजस्थान, जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णत सक्षम होगें।

6. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार :– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है। तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जायेगें।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा राजस्थान,
जयपुर।

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है । इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट – ई
जुर्राब क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क्र.सं. 1 से 33 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें।

1. जुर्राब के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(क) एफ.ओ.आर. :– केन्द्रीय भण्डार गृह रक्षा मुख्यालय, एम.आई. रोड, जयपुर।

(ख) कुल आपूर्ति अवधि :– 60 दिवस

(ग) मात्रा, नाप एवं रंग :– 30000 जोडा (3000 काली एवं 27000 खाकी)

Socks are required to be supplied in following colour :-

Socks Khaki & Black Large 30000 Pair

(घ) स्पेशिफिकेशन :–

AS per the Departmental Sample

नमूना एवं परीक्षण :–

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशीफिकेशन पैरा–1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पेटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में महानिदेशक, गृह रक्षा मुख्यालय, विद्याधर नगर, जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
2. बोली के साथ सप्लाई की जाने वाले जुर्राब खाकी एवं काली Large साईज का एक–एक जोडा सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुदा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।
3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पेटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा) की गुणवता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी । अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नही है ।
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे ।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिदेशक, गृह रक्षा मुख्यालय, जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णत सक्षम होगें ।

6. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः—सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेगें । यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगें ।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा राजस्थान,
जयपुर।

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है । इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट –ई

जूते काले डी.एम.एस. कय हेतु शर्ते एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क.सं. 1 से 33 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें ।

1. **जूते काले डी.एम.एस.** के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :–
   (क) एफ.ओ.आर. :– केन्द्रीय भण्डार गृह रक्षा मुख्यालय, एम.आई. रोड, जयपुर।
   (ख) कुल आपूर्ति अवधि :– 60 दिवस
   (ग) मात्रा, नाप एवं रंग :– 17500 जोडे जूते काले डी.एम.एस.

SPECIFICATION FOR SHOES D.M.S. BLACK LEATHER :-

Upper part of Boot Ankle Black shall be made of high quality milled grain leather with inner lining of leather/non-woven soft fabrics. The toe of the boot shall be made of plain soft leather with double stitching. There should be 5 eyelets & with nylon lace for binding. The quality of sole shall be lightweight of TPR mould fixed with moding machines and stitched with heavy duty threads. The word TPR mould to be embossed on the back of sole. The shade, pattern and workmanship shall be as per department sample.

Boot Ankle Black		
S.No.	Quantity	Pairs of size
1	2000	7
2	6000	8
3	6500	9
4	3000	10
Total	17500	

नमूना एवं परीक्षण :–

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशीफिकेशन पैरा–1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पेटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में महानिदेशक, गृह रक्षा मुख्यालय, विद्याधर नगर जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
2. बोली के साथ सप्लाई की जाने वाले बूट एंकल ब्लेक साईज 8 नंबर का एक जोड़ा सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्वा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।
3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पेटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा,पीतल, चमडा आदि) की गुणवता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नही है ।
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन / सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे ।

5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिदेशक, गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णत सक्षम होगें।
6. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाना है। उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेगें। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगें।
7. **वारंटीः–**सप्लाई किया गया सामान किसी भी उत्पादकिय त्रुटि (दोष) के लिए सामान प्राप्त होने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि हेतु वारंटी पर होगा।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा राजस्थान,
जयपुर।

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट – ई

शोल्डर टाईटल क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क्र.सं. 1 से 33 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें।

1. **शोल्डर टाईटल** के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेसिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(क) एफ.ओ.आर. :– केन्द्रीय भण्डार गृह रक्षा मुख्यालय, एम.आई. रोड, जयपुर।

(ख) कुल आपूर्ति अवधि :– 60 दिवस

(ग) मात्रा, नाप एवं रंग :– 10000 नग

1. राज. गृह रक्षा दल – 7900 नग
2. सीमा गृह रक्षा दल – 2100 नग

(घ) **स्पेसिफिकेशन :–**

"राज गृ. र. द." एवं "सीमा गृ. र. द." लिखा हुआ हो। As per the Departmental Sample

नमूना एवं परीक्षण :–

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशीफिकेशन पैरा–1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पेटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में महानिदेशक, गृह रक्षा मुख्यालय, विद्याधर नगर जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
2. बोली के साथ सप्लाई किये जाने वाले शोल्डर टाईटल का एक–एक नग सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्वा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।
3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पेटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा, पीतल, आदि) की गुणवता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी । अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नही है ।
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन / सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे ।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिदेशक, गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णत सक्षम होगें ।
6. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेगें । यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेगें ।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा राजस्थान,
जयपुर।

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है । इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट – ई
वर्दी सैट (कमीज एवं पेन्ट) टेरीकोट खाकी के क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क्र.सं. 1 से 33 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें।

(क) एफ.ओ.आर. :– केन्द्रीय भण्डार गृह रक्षा मुख्यालय, एम.आई. रोड, जयपुर।
(ख) कुल आपूर्ति अवधि :– 60 दिवस
(ग) मात्रा, नाप एवं रंग :– 20000 वर्दी सैट (कमीज एवं पैंट)
(घ) **स्पेसिफिकेशन :–(As Per Departmental Sample)**

1. वर्दी सैट (कमीज एवं पेन्ट) टेरीकोट खाकी के संबंध स्पेसिफिकेशन :–

1. The Khaki Colth shall be made of polyester/viscose 65/35 "Super Trovine" The same shall be written in selvage of the fabric.
2. Width of the fabric shall be 147 cm +/-2cm and weight of the fabric shall be 240gm/mtr sq.
3. The fell, finish & shade shall be as per department sample which can be seen in the office.

2. वर्दी सैट (कमीज एवं पेन्ट) टेरीकोट खाकी सिलाई के संबंध स्पेसिफिकेशन :–

A. **कमीज खाकी टेरीकोट (समस्त माप से.मी. में)**

क्र. सं.	साईज	लम्बाई तीरे को छोड़कर		तीरे की ल.गचौ.	सीने का नाप	सीने में ढीलापन	आस्तीन की लम्बाई कफ सहित
		सामने से	पीछे से				
1.	छोटा (S)	72	70	40 x 8.5	86	20	58
2.	मध्यम छोटा (SM)	74	72	42 x 8.5	88	20	59
3.	मध्यम बड़ा (ML)	76	74	44 x 8.5	92	20	61
4.	अधिक बड़ा (XL)	80	78	46 x 8.5	96	20	63
5.	सबसे बड़ा (XXL)	84	82	46 x 8.5	100	20	64

बांह की चौड़ाई कंधे के पास	कफ की चौड़ाई	कफ की लम्बाई	कॉलर साईज	पॉकेट साईज
20	7	23	36	15 X 13
21	7	23	37	15 X 13
22	7	23	38	15 X 13
23	7	23	39	15 X 13
23	7	24	40	15 X 13

A. **अन्य शर्ते :–**

शर्ट खाकी टेरीकोट की सिलाई में निम्नलिखित का समावेश किया जायेगा :–

1. टाई कॉलर सामने से पूरा खुला होगा तथा सामने की पट्टी 4 सेमी. जिस पर 6 बटन मय काज होंगे। काज विभागीय सेम्पल के अनुसार मशीन के होंगे।
2. तीनों साईजों में जेबों की साईज 15 x 13 सेमी. होगी तथा जेब के बीच में एक 3 सेमी. चौड़ी खड़ी पट्टी होगी। दोनों जेबों के ऊपर विभागीय नमूने के आकार का फ्लेप (कवर) होगा। शर्ट के सामने लगने वाले बटनों में से कॉलर की तरफ से तीसरा बटन इस प्रकार लगेगा कि तीसरा बटन एवं सामने की दोनों जेबों के बटन एक सीध में हो।
3. शर्ट के पीछे ढीलेपन के लिए दो प्लेट्स होंगी।

4. सिंगल कफ एक बटन के साथ होगा।

5. दो शोल्डर स्ट्रेप (छोल) जिनकी चौड़ाई आस्तीन के पास 6 सेमी. तथा बटन के पास 3.5 सेमी. होगी।

6. बटन, जिप एवं हुक उच्च क्वालिटी के होंगे।

B. **पेंट खाकी टेरीकोट (समस्त माप से.मी. में)**

क्र. सं.	साईज	लम्बाई बैल्ट सहित		पैरों के अन्दर की लम्बाई	कमर का नाप	सीट	मोहरी	जेब की साईज
		सामने से	पीछे से					
1.	छोटा (S)	102	105	73	80	94	46	33 X 15
2.	मध्यम छोटा (SM)	104	106	76	84	96	46	33 X 15
3.	मध्यम बड़ा (ML)	106	108	78	88	98	46	33 X 15
4.	अधिक बड़ा (XL)	108	110	80	92	100	46	33 X 15
5.	सबसे बड़ा (XXL)	110	112	82	96	102	46	33 X 15

B. **अन्य शर्ते :–**

पैंट खाकी टेरीकोट की सिलाई में निम्नलिखित का समावेश किया जायेगा :–

1. पैंट के बेल्ट की चौड़ाई 5 सेमी. होगी।

2. बेल्ट के लिए 3 लुप्पी लगेगी जिनकी लम्बाई 10 सेमी. होगी तथा इनका आकार विभागीय नमूने के अनुसार होगा।

3. उपरोक्त लम्बाई के अतिरिक्त मोहरी में 5 सेमी. उलटने के लिए कपड़ा रखा जायेगा एवं मोहरी की सिलाई मशीन से होगी।

4. कमर में 10 सेमी. का दबाव रखा जायेगा अर्थात् दोनों तरफ 5–5 सेमी. दबाना होगा ताकि आवश्यकता होने पर पैंट को कमर में ढीली की जा सके।

5. सीट में ढीलापन 20 सेमी. होगा।

6. पैंट के दोनों साईड में जेब होगी जिनकी साईज 33 x 15 सेमी. होगी।

7. बटन, जिप एवं हुक उच्च क्वालिटी के होंगे।

बोलीदाता फर्म द्वारा तीन साईज के (SM, ML, XL) सील किये हुए सैम्पल विभाग को प्रस्तुत किये जायेगें। सभी मापों का सैम्पल प्राप्त नहीं होने पर बोली पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

B. Lam

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा राजस्थान,
जयपुर।

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूॅ/है । इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)